न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम शेषनरायन सिंह आदि

सत्र परीक्षण संख्या–631/2011
सत्र परीक्षण सं० 586/2014
अप०सं०–304/2011
धारा–302, 120 बी, भा०दं०सं०
थाना–देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, **शिवचन्द**, अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, आजमगढ आप अभियुक्तगण **1–शेष नरायन सिंह, 2– चंदन सिंह 3–नरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार सिंह 4– अखिलेश सरोज** को निम्नवत् आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम–यह कि दिनाँक–11/12.05.2011 को समय अदम तहरीर बहद ग्राम कठौनी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ में आप लोगों ने वादी मुकदमा मनिकराज सिंह की पुत्री पुनम सिंह को व्यूटी पार्लर से अर्जीत धन न देने के कारण वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या कर दिये और शव को कमरे के पँखे के पत्ती में लटका दिये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–302 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उक्त दिनाँक, समय तथा स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या के उद्देश्य से आपराधिक षडंयन्त्र कारित किया। इसप्रकार आपलोगों ने धारा **120 बी भा० दं० वि०** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँकः**15.07.2021**

(**शिवचन्द**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहते है या विचारण चाहता है? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनाँकः **15.07.2021**

(**शिवचन्द**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम शेषनरायन सिंह आदि

सत्र परीक्षण संख्या–631/2011
सत्र परीक्षण सं० 586/2014
अप०सं०–304/2011
धारा–302, 120 बी, भा०दं०सं०
थाना–देवगाँव, जनपद आजमगढ़।

15.07.2021

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **शेष नरायन सिंह, चंदन सिंह, नरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार सिंह, अखिलेश सरोज** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 302,120 बी भा०दं०सं० का आरोप बनाये जाने की याचना की गयी । जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण **शेष नरायन सिंह, चंदन सिंह, नरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार सिंह, अखिलेश सरोज** के विरूद्ध धारा 302, 120 बी भा०दं०सं० का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं परीक्षण की मांग किया। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 04.08.2021 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों ।

दिनांक–15.07.2021

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़।